

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 17056/2023

1. मुकेश छीपा पुत्र श्री प्रेमराज छीपा, उम्र लगभग 34 वर्ष, निवासी सुथारों का बास, सदर बाजार, बिलाडा, जिला जोधपुर।
2. वरजंगा राम पुत्र श्री सगत राम, उम्र लगभग 26 वर्ष, निवासी ग्राम पोहरपुरा, तहसील सांचौर, जिला जालोर।
3. मनोज शर्मा पुत्र श्याम सुंदर शर्मा, उम्र लगभग 39 वर्ष, कला बाल मंदिर स्कूल के पास, सुजानगढ़, तहसील सुजानगढ़, जिला चूरू (राज.)।
4. धर्मन्द्र कुमार पुत्र बल राम गिरी, उम्र लगभग 39 वर्ष, निवासी वार्ड नंबर 06, गजसिंहपुर, तहसील पदमपुर, जिला श्रीगंगानगर (राज.)।
5. सोहन लाल गुर्जर पुत्र जय नारायण गुर्जर, उम्र लगभग 37 वर्ष, निवासी वीपीओ फरडोद, तहसील जायल, जिला नागौर (राज.)।
6. श्रीपाल पुत्र नैना राम, उम्र लगभग 32 वर्ष, निवासी जाटो का बास, वीपीओ बुटाटी, तहसील सांजू, जिला नागौर (राज.)।
7. दीपा राम रयाल पुत्र चन्द्र राम रयाल, उम्र लगभग 32 वर्ष, निवासी ग्राम भवानीपुरा, पोस्ट-गंवरी, जिला नागौर (राज.)।
8. सुरेंद्र सिंह पुत्र माल सिंह, उम्र लगभग 29 वर्ष, निवासी ग्राम डेहरोली, पोस्ट-रोहिना, तहसील जायल, जिला नागौर, (राज.)।
9. कपिल पालीवाल पुत्र माणक लाल पालीवाल, उम्र लगभग 25 वर्ष, निवासी ओढाणिया, तहसील पोकरण, जिला जैसलमेर (राज.)।
10. चमन शर्मा पुत्र राजवीर शर्मा, उम्र लगभग 26 वर्ष, निवासी रामजी का गोल फांटा, पोस्ट पिपराली, तहसील गुडामालानी, जिला बाड़मेर (राज.)
11. सोनू रेगर पुत्र किशन लाल रेगर, उम्र लगभग 31 वर्ष, निवासी रैगर मौहल्ला, रैला गांव, तहसील बनेडा, जिला भीलवाड़ा (राज.)।
12. राघवेंद्र सिंह नरूका पुत्र नरेंद्र सिंह, उम्र लगभग 31 वर्ष, निवासी 123/81 अग्रवाल फार्म, मानसरोवर, तहसील मानसरोवर, जिला जयपुर (राज.)
13. भीम सिंह पुत्र रामजी लाल, उम्र लगभग 37 वर्ष, निवासी मौहल्ला अखेईपुरा, प्रताप स्कूल के पीछे, अलवर शहर, जिला अलवर (राज.)।
14. बाल मुकेंद्र मीना पुत्र मन्ना लाल मीना, उम्र लगभग 41 वर्ष, निवासी मकान नंबर 131, देवनारायण मंदिर के पास, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा (राज.)
15. विक्की जांगिड़ पुत्र बनवारी लाल जांगिड़, उम्र लगभग 33 साल, निवासी ग्राम रिसाणी, पोस्ट भूरथल, तहसील आमेर, जिला जयपुर (राज.)।
16. मिलाप मीना पुत्र प्यारे लाल मीना, उम्र लगभग 31 वर्ष, निवासी 10, रूप नगर, 2 नं., महेश नगर, टोंकफाटक के पास, जिला जयपुर (राज.)।

17. अर्चना मीना पुत्री केदार प्रसाद मीना, उम्र लगभग 34 वर्ष, निवासी प्लॉट नंबर 07, श्री नरसिंह एन्क्लेव जगतपुरा, जिला जयपुर (राज.)।
18. राज दुर्गेश मालव पुत्री केदार लाल मालव, उम्र लगभग 37 वर्ष, निवासी ओल्ड पी एंड एम्प टी डिस्पेंसरी, बग्गीखाना, सिविल लाइन्स, नयापुरा, कोटा, जिला कोटा (राज.)
19. अनिता मीना पुत्री रमेश चाँद मीना, उम्र लगभग 25 वर्ष, निवासी ग्राम हीरावाला, पोस्ट खुंथड़ा खुर्द, तहसील बस्सी, जिला जयपुर (राज.)।
20. अरुण कुमार मालव पुत्र गजानंद मालव, उम्र लगभग 29 वर्ष, निवासी 104, वीपीओ सेटकोलू, तहसील छीपाबडौद, जिला बारां (राज.)।
21. कैलाश नारायण मीना पुत्र कल्याण सहाय मीना, उम्र लगभग 42 वर्ष, निवासी ग्राम झिंझा, पोस्ट देवगांव, तहसील बस्सी, जिला जयपुर (राज.)।
22. मनीष वशिष्ठ पुत्र केदार शर्मा, उम्र लगभग 35 वर्ष, निवासी 52/62, सेक्टर-5, वीएसआई इंटरनेशनल स्कूल के पास, प्रताप नगर, सांगानेर, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर (राज.)।
23. सुरेश कुमार पुत्र भागू राम, उम्र लगभग 39 वर्ष, निवासी वार्ड नंबर 11, चनावतावली, बावड़ी, वीपीओ नांगल उदयपुरवाटी, जिला-झुंझुनू (राज.)।
24. बजरंग सिंह पुत्र नाथू सिंह, उम्र लगभग 37 वर्ष, निवासी गोपाल नगर, तहसील दूदू, जिला जयपुर (राज.)।
25. सुरेंद्र कुमार पुत्र बिहारी लाल स्वामी, उम्र लगभग 41 वर्ष, निवासी वार्ड नंबर-9, भगेरा, तहसील नवलगढ़, जिला झुंझुनू (राज.)।
26. राकेश कुमार पुत्र मेवा राम, उम्र लगभग 38 वर्ष, निवासी रायको का मौहल्ला, डेगाना गांव, जिला नागौर (राज.)।
27. भजन लाल सैनी पुत्र संत लाल सैनी, उम्र लगभग 40 वर्ष, निवासी वार्ड नंबर 22, टिकमणी पाठशाला के पीछे, राजगढ़, जिला चूरू (राज.)।
28. जीतेन्द्र सिंह पुत्र गिरधारी सिंह, उम्र लगभग 35 वर्ष, निवासी 18 ई/344, चोपासैनी हाउसिंग बोर्ड, जोधपुर शहर, जिला जोधपुर (राज.)।
29. मदन लाल पुत्र वेला राम, उम्र लगभग 40 वर्ष, निवासी कृषि मण्डी के सामने, गीता भवन के पास, लक्ष्मी बाई सर्किल, चौधरी कॉलोनी, सुमेरपुर, तहसील सुमेरपुर, जिला पाली (राज.)।
30. गायत्री खटीक पुत्र गोपाल लाल खटीक, रतन लाल खोईवाल, उम्र लगभग 28 वर्ष, निवासी चुंगीनाका, खटीक मौहल्ला, पुर, तहसील व एम्प जिला भीलवाड़ा (राज.)।
31. ललतेश कुमार जांगिड़ पुत्र गुजर मल जांगिड़, उम्र लगभग 31 वर्ष, निवासी ए 212, आनंद विहार, साई मंदिर के पीछे, तिजाराफाटक, अलवर शहर, जिला अलवर (राज.)।

32. ब्रज नंदन लावडिया पुत्र छगन लाल लावडिया, उम्र लगभग 33 वर्ष, निवासी प्लॉट नंबर 45, शिव कॉलोनी, लक्ष्मी नगर के पीछे, सोडाला, जयपुर शहर, जिला जयपुर (राज.)।
33. सुरेंद्र कुमार पुत्र बलदेव राम, उम्र लगभग 34 वर्ष, निवासी ग्राम कंवलीसर, पोस्ट झाड़ीसरा, जिला नागौर (राज.)।
34. सांवर दान चारण पुत्र मुरली दान चारण, उम्र लगभग 30 वर्ष, निवासी 16, करणी माता मंदिर, बीकासर, नोखा, जिला बीकानेर।

----अपीलार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान राज्य, प्रमुख सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान सरकार सचिवालय, जयपुर के माध्यम से।
2. प्रमुख सचिव, शिक्षा विभाग (प्रारंभिक) राजस्थान सरकार सचिवालय, जयपुर।
3. निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर।
4. राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर, कार्यालय पता - राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान परिसर दुर्गापुरा जयपुर (राजस्थान)।

----प्रतिवादीगण

के साथ

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या **17318/2023**

1. सुषमा जोशी पुत्री पुरुषोत्तम जोशी पत्नी मुकेश कुमार जोशी, उम्र लगभग 32 वर्ष, वीपीओ पुनाली, तहसील एवं जिला इंगरपुर (राज.)।
2. अजमल कटारा पुत्र राजनारायण, उम्र लगभग 35 वर्ष, ग्राम हारो, पो कांजी का गारा, तहसील घाटोल, जिला बांसवाड़ा (राज.)।
3. वनिताकुमारीभरोर पुत्री बाबू लाल पत्नी रमन लाल चानना, उम्र लगभग 33 वर्ष, बीपीओ ओबला, तहसील आनंदपुरी, जिला बांसवाड़ा (राज.)।
4. मंगल यादव पुत्र गोवन यादव, उम्र लगभग 33 वर्ष, यादव मोहल्ला, ग्राम जूईतलाई, पोस्ट गलियाकोट, जिला इंगरपुर (राज.)।
5. बक्सूरामडामोर पुत्र पौंजियाडामोर, उम्र लगभग 31 वर्ष, ग्राम चुनाखोरा, पोस्ट कुवानिया, तहसील घाटोल, जिला बांसवाड़ा (राज.)।
6. धनराज पारगी पुत्र सोमा पारगी, उम्र लगभग 43 वर्ष, वीपीओ कोचरी, वाया चिखली, तहसील चिखली, जिला इंगरपुर (राज.)।
7. महेंद्र सिंह चौहान पुत्र भोपाल सिंह चौहान, उम्र लगभग 30 वर्ष, वीपीओ भबराना, तहसील सलूंबर, जिला उदयपुर (राज.)।

8. महेंद्र कुमार कोरी पुत्र नरेश कोरी, उम्र करीब 34 साल, माच गांव, अक्षय कॉलोनी, माउंट आबू, जिला सिरोही (राज.)।
9. सुंदर लाल अहारी पुत्र थावेर चंद अहारी, उम्र करीब 28 साल, मुकामडोला, पोस्ट ठाकरडा, तहसील सागवाड़ा, जिला इंगरपुर (राज.)।
10. कांति लाल बामनिया पुत्र रामजी बामनिया, उम्र लगभग 33 वर्ष, ग्राम गदीत, पोस्ट राठडी, तहसील चिखली, जिला इंगरपुर (राज.)।
11. दीपक कुमार मीना पुत्र जीवत राम, उम्र लगभग 44 वर्ष, ग्राम रोबिया, पोस्ट सुंदरा, तहसील खेरवाड़ा, जिला उदयपुर (राज.)।
12. शांति लाल पारगी पुत्र मावजी पारगी, उम्र लगभग 31 वर्ष, मप्र कुवानिया, तहसील घाटोल, जिला बांसवाड़ा (राज.)।
13. मेघा जोशी पुत्री अजय कुमार जोशी पत्नी राहुल जोशी, उम्र लगभग 36 वर्ष, 103 श्री नाथ कॉम्प्लेक्स, गली नंबर 6 बी, राती तलाई, बांसवाड़ा, तहसील और जिला बांसवाड़ा (राज.)।
14. सुखराम कटारा पुत्र भालजी कटारा, उम्र लगभग 37 वर्ष, वीपीओ जाम्बुडी, तहसील गांगड़तलाई, जिला बांसवाड़ा (राज.)।
15. राकेश कुमार डामोर पुत्र भूराजी डामोर, उम्र लगभग 32 वर्ष, ग्राम कानेला, पोस्ट चंदरवाड़ा, तहसील आनंदपुरी, जिला बांसवाड़ा (राज.)।
16. पीयूष खराडी पुत्र गजेन्द्र खराडी, उम्र लगभग 32 वर्ष, वीपीओ बोरी, तहसील गढी, जिला बांसवाड़ा (राज.)।
17. पुष्पा कुमारी राठौड़ पुत्री मोहन लाल राठौड़, उम्र लगभग 38 वर्ष, ग्राम रूपजी का खेड़ा, तहसील घाटोल, जिला बांसवाड़ा (राज.)।
18. मेघा पुत्री कमल कांत पत्नी विशाल सिसौदिया, उम्र लगभग 36 वर्ष, दयानंद मार्ग, वार्ड नंबर 03, कुशलगढ, तहसील कुशलगढ, जिला बांसवाड़ा (राज.)।
19. सविता परमार पुत्री रूप लाल परमार पत्नी दीता राम भील, उम्र लगभग 45 वर्ष, 121, बिजुदाफला ए, शिशोदबिछवाड़ा, जिला इंगरपुर (राज.)।

----अपीलार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान राज्य, प्रमुख सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान सरकार सचिवालय, जयपुर के माध्यम से।
2. प्रमुख सचिव, शिक्षा विभाग (प्रारंभिक) राजस्थान सरकार सचिवालय, जयपुर।
3. निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर।
4. राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर, कार्यालय पता - राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान परिसर दुर्गापुरा जयपुर (राजस्थान)।

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 17500/2023

1. श्वेता बिश्नोई पुत्री श्री मोहन बिश्नोई पत्नी अमन बिश्नोई, उम्र लगभग 37 वर्ष, निवासी अमरसिंहपुरा, पत्रिका प्रेस के पीछे, बीकानेर, जिला बीकानेर (राज.)
2. आशमा अली खान पुत्री मजीत खान, उम्र लगभग 33 वर्ष, निवासी पठान मोहल्ला, मुख्य बाजार, मनिया, जिला धौलपुर (राज.)
3. लिखमी चंद पुत्र प्रेम चंद, उम्र लगभग 35 वर्ष, निवासी अगुनामोहल्ला, भामी बस्ती, वार्ड नंबर 06 चूरु शहर, तहसील और जिला चूरु (राज.)
4. भगवान चंद्र नायक पुत्र नानक राम, उम्र लगभग 38 वर्ष, निवासी वीपीओ राजपुरा, तहसील तारानगर, जिला चूरु (राज.)
5. मोहम्मद आसिफ पुत्र सलाउद्दीन, उम्र लगभग 30 वर्ष, निवासी ग्राम गोगोर, पोस्ट सेलू, तहसील सवाईमाधोपुर, जिला सवाईमाधोपुर (राज.)
6. शाहरुख खान पुत्र ऐजाज नबी, उम्र लगभग 32 वर्ष, निवासी वीपीओ भीमसर, तहसील और जिला झुंझुनू (राज.)
7. सुहेल खान पुत्र अब्दुल कलाम खान, उम्र लगभग 25 साल, निवासी बागुरवाली मस्जिद के पास, चटिकानाबाजार, करौली, जिला करौली (राज.)
8. मोहम्मद सलीम खान पुत्र हिदायत खान, उम्र करीब 34 साल, निवासी ग्राम बेरी खुर्द, पोस्ट जतनपुरा, तहसील डीडवाना, जिला नागौर (राज.)
9. आशमा अली खान पुत्री मजीत खान, उम्र लगभग 33 वर्ष, निवासी पठान मोहल्ला, मुख्य बाजार मनिया, जिला धौलपुर (राज.)
10. राजेश कंवर पुत्री प्रहलाद सिंह पत्नी प्रकाश सिंह राठौड़, उम्र लगभग 27 वर्ष, निवासी शेखावत भवन, खारिया रोड, कुचामन सिटी, जिला नागौर (राज.)
11. सुरेंद्र सिंह पुत्र इंदर सिंह, उम्र लगभग 30 वर्ष, निवासी वीपीओ मांगलोद, पोस्ट जायल, जिला नागौर (राज.)
12. राजकुमार पुत्र लाला राम, उम्र लगभग 40 वर्ष, निवासी ए-13, राठ कॉलोनी, अलवर शहर, तहसील और जिला अलवर (राज.)
13. सुनील कुमार गवाला पुत्र श्याम लाल गवाला, उम्र लगभग 39 वर्ष, निवासी अहीर मोहल्ला, प्रतापगढ़, तहसील एवं जिला प्रतापगढ़ (राज.)
14. लक्ष्मण सैनी पुत्र ग्यारसी लाल सैनी, उम्र लगभग 38 वर्ष, निवासी ढाणीझाडला, पोस्ट, अरनिया, तहसील बसवा, जिला दौसा (राज.)
15. प्रीति कुमारी पुत्री लक्ष्मण दास पत्नी भूपेन्द्र कुमार, उम्र लगभग 32 वर्ष, निवासी वीपीओ काहतलाबाना, वार्ड नंबर 07, श्रीगंगानगर, तहसील एवं जिला श्रीगंगानगर (राज.)

16. ज्योति पुत्री श्री राम कुमार पत्नी शिव कुमार, उम्र लगभग 29 वर्ष, निवासी सी-168 रीको हाउसिंग कॉलोनी बीछवाल, बीकानेर, जिला बीकानेर (राज.)
17. हेमलता गोकलानी पुत्री गंगाराम गोकलानी पत्नी गगन शम्भवानी, उम्र लगभग 41 वर्ष, निवासी 6-सी-16, विज्ञान नगर, विस्तार कोटा, जिला कोटा (राज.)
18. हज़ूर खान पुत्र सुजल खान, उम्र लगभग 31 वर्ष, निवासी ग्राम धूलिया, पोस्ट डेढा, तहसील सम, जिला जैसलमेर (राज.)

----याचिकाकर्तागण

बनाम

1. राजस्थान राज्य, प्रमुख सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान सरकार सचिवालय, जयपुर के माध्यम से।
2. प्रमुख सचिव, शिक्षा विभाग (प्रारंभिक) राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर।
3. निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर।
4. राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर, कार्यालय पता- राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान परिसर दुर्गापुरा जयपुर (राज.)

----प्रतिवादीगण

अपीलार्थी(गण) के लिए : श्री सुशील बिश्रोई

प्रतिवादी(गण) के लिए : श्री दीपक चांडक

माननीय श्री न्यायमूर्ति अरुण मोंगा

निर्णय (मौखिक)

28/05/2024

1. याचिकाकर्ताओं की शिकायत अन्य बातों के साथ-साथ प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा पारित दिनांक 21.09.2023 के आदेश से उत्पन्न हुई है। इस आदेश के अनुसार, अतिरिक्त विषय के रूप में अंग्रेजी में स्नातक की डिग्री रखने वाले शिक्षकों के पदों के लिए दिनांक 16.12.2022 के विज्ञापन के अनुसार उम्मीदवारों का अंतिम चयन, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) के अंतिम परिणाम के लंबित रहने तक स्थगित रखा गया है। याचिकाकर्ता लंबित एसएलपी के परिणाम के अधीन नियुक्ति के लिए उनके नामों की अनुशंसा करने का निर्देश चाहते हैं।

2. संक्षेप में, याचिका में दिए गए प्रासंगिक तथ्य इस प्रकार हैं:

2.1. राजस्थान राज्य चयन बोर्ड द्वारा गैर-टीएसपी क्षेत्रों के लिए अध्यापक ग्रेड-III (लेवल-II) (अंग्रेजी) के पदों हेतु दिनांक 16.12.2022 को विज्ञापन जारी किया गया।

2.2. विज्ञापन की शर्त संख्या 10.1 के अनुसार उक्त पद के लिए न्यूनतम योग्यता स्नातक या स्नातकोत्तर में 50% अंकों के साथ बी.एड. होना आवश्यक है। इसके उप-खण्ड बी (शर्त संख्या 10.1) में यह परिकल्पना की गई है कि स्नातक में अंग्रेजी वैकल्पिक या समकक्ष विषय के रूप में होनी चाहिए।

2.3. यह मुद्दा कि क्या बी.एड. के साथ अतिरिक्त विषय के रूप में अंग्रेजी के साथ स्नातक की डिग्री रखने वाले उम्मीदवार शिक्षक ग्रेड- III, लेवल-2 (अंग्रेजी) के पद के लिए पात्र हैं, दिनांक 11.09.2017 के विज्ञापन के माध्यम से शुरू की गई पूर्व चयन प्रक्रिया में उठाया गया था। इस पर विचार करने के लिए शिक्षा विभाग द्वारा एक समिति गठित की गई थी। समिति ने 13.07.2018 को निर्णय लिया कि वैकल्पिक/सामूहिक/अतिरिक्त/ऑनर्स विषय के रूप में अंग्रेजी में डिग्री वाले उम्मीदवार उक्त पद के लिए पात्र हैं।

2.4. समिति की अनुशंसा के अनुसरण में, प्रतिवादियों ने अतिरिक्त विषय के रूप में अंग्रेजी में डिग्री वाले अभ्यर्थियों को नियुक्ति की पेशकश की। उक्त निर्णय से व्यथित होकर, कुछ प्रभावित अभ्यर्थियों ने जयपुर पीठ में एस.बी.सी.डब्ल्यू.पी. संख्या 19113/2017: धर्मेन्द्र कुमार भींचर बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य दायर कर इसे चुनौती दी। रिट याचिका को 21.08.2018 को अनुमति दी गई, जिसमें न्यायालय ने कहा कि अतिरिक्त विषय के रूप में अंग्रेजी में डिग्री वाले अभ्यर्थी शिक्षक ग्रेड-III, लेवल-2 (अंग्रेजी) के पद के लिए पात्र नहीं हैं।

2.5. उक्त एकल पीठ के दिनांक 21.08.2018 के आदेश को प्रभावित अभ्यर्थियों के साथ-साथ राज्य सरकार द्वारा अंतर-न्यायालय अपील के माध्यम से चुनौती दी गई, जिसे दिनांक 25.03.2021 को खंडपीठ द्वारा खारिज कर दिया गया।

2.6. हालाँकि, अपील के लंबित रहने के दौरान, प्रतिवादियों ने अपील के अंतिम परिणाम के आधार पर अतिरिक्त विषय के रूप में अंग्रेजी में डिग्री वाले उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र जारी किए।

2.7. दिनांक 25.03.2021 के डीबी आदेश/निर्णय के खिलाफ अपील की विशेष अनुमति विचाराधीन है। इसके लंबित रहने के दौरान, सर्वोच्च न्यायालय ने 17.09.2021 के अंतरिम आदेश के माध्यम से चुनौती दिए गए आदेश के प्रभाव और संचालन पर रोक लगा दी है।

2.8. तत्पश्चात्, दिनांक 31.12.2021 के विज्ञापन द्वारा शुरू की गई नई चयन प्रक्रिया में, अतिरिक्त विषय के रूप में अंग्रेजी में डिग्री वाले याचिकाकर्ताओं जैसे उम्मीदवारों को भाग लेने की अनुमति नहीं दी गई। व्यथित होकर, उन्होंने रिट याचिकाओं का एक बैच दायर किया। एसबीसीडब्ल्यूपी संख्या 19658/2022: सचिन महिया बनाम राजस्थान राज्य और अन्य। इसमें दिनांक 02.01.2023 को पारित एक अंतरिम आदेश के तहत, प्रतिवादियों को याचिकाकर्ताओं और समान स्थिति वाले उम्मीदवारों को चयन प्रक्रिया में अनंतिम रूप से भाग लेने की अनुमति देने का निर्देश दिया गया था।

2.9. रिट याचिकाओं के उपरोक्त बैच का 27.03.2023 को यह देखते हुए निपटारा किया गया कि उम्मीदवारों की अनंतिम भागीदारी माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लंबित एसएलपी के अंतिम परिणाम के अधीन होगी।

2.10. इसके बाद प्रतिवादियों ने 15.09.2023 को एक सूची प्रकाशित की, जिसमें याचिकाकर्ताओं के नाम को 'अनंतिम' के रूप में चिह्नित किया गया था, और उनकी नियुक्तियों को रोक दिया गया था। प्रतिवादी संख्या 3 ने 21.09.2023 के एक आदेश द्वारा, अतिरिक्त विषय के रूप में अंग्रेजी के साथ डिग्री रखने वाले याचिकाकर्ताओं के अंतिम चयन को स्थगित रखा, जो एसएलपी के अंतिम परिणाम के अधीन था। इसलिए, यह रिट याचिका।

3. प्रतिवादियों का बचाव अन्य बातों के साथ-साथ यह है कि इस विवाद में मुकदमेबाजी का इतिहास है और वर्तमान में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है। इसी तरह के एक मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने एसएलपी संख्या 26351/2013: स्नेहलता बनाम दिल्ली सरकार में निर्धारित किया था कि अतिरिक्त विषय के साथ डिग्री रखने वाले उम्मीदवारों को शिक्षक के पद पर भर्ती के लिए विचार नहीं किया जाना चाहिए। इसके बाद, राजस्थान के प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने 17.12.2021 को एक कार्यालय आदेश जारी किया है, जिसमें अतिरिक्त विषय के साथ डिग्री रखने वाले उम्मीदवारों को प्रश्नगत पदों के लिए भविष्य की भर्ती में शामिल नहीं करने का निर्देश दिया गया है।

4. उपरोक्त पृष्ठभूमि में, मैंने विद्वान वकीलों की प्रतिद्वंद्वी दलीलें सुनी हैं और केस फाइल का अवलोकन किया है।

5. यहाँ यह स्पष्ट रूप से उभर कर आता है कि याचिकाकर्ताओं की तरह समान स्थिति वाले अभ्यर्थियों के दावे को प्रतिवादियों द्वारा पहले ही स्वीकार कर लिया गया था और उन्हें चयन प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति दी गई थी। इतना ही नहीं, उन्हें नियुक्तियाँ भी प्रदान की गई थीं।

6. हालाँकि, प्रभावित अभ्यर्थियों ने उक्त प्रशासनिक निर्णय को चुनौती दी थी, जिसे इस न्यायालय की जयपुर पीठ ने एस.बी.सी.डब्ल्यू.पी. संख्या 19113/2017: धर्मेन्द्र कुमार भींचर एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य में रद्द कर दिया था। पीड़ित अभ्यर्थियों ने अंतर-न्यायालय अपीलों (डी.बी. सिविल विशेष अपील (रिट) संख्या 1143/2018: पवन स्वरूप गौर एवं अन्य बनाम धर्मेन्द्र कुमार भींचर एवं अन्य) के माध्यम से एकल न्यायाधीश के निर्णय को चुनौती दी थी, जिन्हें खंडपीठ ने खारिज कर दिया था।

7. पीड़ित अभ्यर्थियों द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष एक एसएलपी दायर की गई थी, जो विचाराधीन है। राज्य सरकार ने अतिरिक्त विषय के साथ डिग्री रखने वाले अभ्यर्थियों को अनुमति देने के अपने निर्णय का बचाव करते हुए इस न्यायालय की खंडपीठ के निर्णय के विरुद्ध एक क्रॉस एसएलपी भी दायर की है, जिस पर भी निर्णय लंबित है।

8. परिणामस्वरूप, चूंकि एसएलपी अभी भी लंबित हैं, इसलिए याचिकाकर्ताओं का भाग्य स्वाभाविक रूप से उन लोगों के साथ जुड़ा हुआ है जो खंडपीठ के निर्णय के लाभार्थी हैं। सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष मामले के लंबित रहने के दौरान, यह न्यायालय, अतीत में एकल और खंडपीठ दोनों द्वारा अपनाए गए उसी रास्ते पर चलने से बचना चाहेगा, जिन्होंने अपने संबंधित निर्णयों के माध्यम से अपने विचार व्यक्त किए हैं।

9. तदनुसार, रिट याचिकाकर्ताओं को लंबित एसएलपी के परिणाम के आधार पर और उसके बाद प्रतिवादियों से संपर्क करने की स्वतंत्रता दी जाती है। इस अंतराल में, इस न्यायालय को एसएलपी के लंबित रहने के दौरान अनंतिम नियुक्तियों के लिए कोई अंतरिम निर्देश जारी नहीं करना चाहिए और न ही ऐसा करने का इच्छुक है, जैसा कि याचिकाकर्ताओं द्वारा मांगा जा रहा है। इसके अलावा, वर्तमान भर्ती 16.12.2022 के विज्ञापन पर आधारित है, और यह पता चलता है कि प्रतिवादियों ने सही निर्णय लिया है कि बाद में ऐसे उम्मीदवारों को कोई न्यायसंगत अधिकार प्रदान किए जाने से बचने के लिए कोई और अनंतिम नियुक्तियां नहीं की जाएंगी (जैसा कि अतीत में किया गया था), अगर अंतिम निर्णय उनके खिलाफ आता है।

10. उपर्युक्त टिप्पणियों के साथ, रिट याचिकाओं का निपटारा किया जाता है। लंबित आवेदन, यदि कोई हो, का भी निपटारा किया जाता है।

(अरुण मोंगा),जे

यह अनुवाद आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" के जरिये अनुवादक की सहायता से किया गया है ।

अस्वीकरण - यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी आधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा एवं निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।